

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौ. / मान्यता / 2024 / 7570

भोपाल, दिनांक 22.02.24

— आम सूचना —

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1080/2022 में दिनांक 08.02.2024 एवं 22.02.2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में 66 संस्थाओं को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संबंधित 66 संस्थाओं की समस्त सत्रों एवं पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया था। उक्त संदर्भ में जारी मान्यता निरस्तीकरण आदेश जो कि संबंधित संस्थाओं को भेजे गए थे, में से 08 संस्थाओं के आदेश वापस कौंसिल में प्राप्त हुए हैं। संबंधित संस्थाओं के मान्यता निरस्तीकरण आदेश इस सूचना पत्र के साथ सभी के सूचनार्थ संलग्न किए जा रहे हैं।

संलग्न— (08 संस्थाओं के मान्यता निरस्तीकरण आदेश)


उप रजिस्ट्रार (प्रशासन)
मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
भोपाल, म0प्र0

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौ. / मान्यता / 2024 / 3937

भोपाल, दिनांक 12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **Sushila Nursing College, Sehore** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **Sushila Nursing College, Sehore** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 1/4/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

12/3/24
प्रशासक / रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौ. / मान्यता / 2024 /
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर सीहोर, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **Sushila Nursing College, Sehore** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12/3/24
प्रशासक / रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/ 3929

भोपाल, दिनांक...12.12.24...

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **Shakti Vidhya Mandir College of Nursing, Mandla** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **Shakti Vidhya Mandir College of Nursing, Mandla** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 12/4/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर मंडला, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंडला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **Shakti Vidhya Mandir College of Nursing, Mandla** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/3935

भोपाल, दिनांक 12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **The Holy Faith Institute of Nursing, Bhopal.** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **The Holy Faith Institute of Nursing, Bhopal.** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 1/4/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर भोपाल, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **The Holy Faith Institute of Nursing, Bhopal.** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/3923

भोपाल, दिनांक 12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **Ritu College of Nursing Science, Chhindwara** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **Ritu College of Nursing Science, Chhindwara** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 6/4/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **Ritu College of Nursing Science, Chhindwara** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/3867

भोपाल, दिनांक.....12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **Chhatrasal College of Nursing, Panna** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **Chhatrasal College of Nursing, Panna** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 25/04/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर पन्ना, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **Chhatrasal College of Nursing, Panna** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/3897

भोपाल, दिनांक 12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **Adhar Nursing Collage, Chhatarpur** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **Adhar Nursing Collage, Chhatarpur** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 14/04/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर छतरपुर, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **Adhar Nursing Collage, Chhatarpur** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/3973

भोपाल, दिनांक 12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **Jai Maa Bhagwati Nursing College, Gwalior** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **Jai Maa Bhagwati Nursing College, Gwalior** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 12/4/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएँ (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./मान्यता/2024/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक/प्राचार्य **Jai Maa Bhagwati Nursing College, Gwalior** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड़ जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौ. / मान्यता / 2024 / 3913

भोपाल, दिनांक 12/3/24

::मान्यता निरस्तीकरण आदेश::

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (मुख्य खण्डपीठ) में प्रचलित प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के संलग्नक क्रमांक 3 में सी.बी.आई जाँच रिपोर्ट में संस्था **J.K. College of Nursing, Ujjain** को "Unsuitable" की श्रेणी में अंकित किया गया है। प्रकरण WP1080/2022 में दिनांक 08/02/2024 एवं 22/02/2024 को पारित आदेश के परिपालन में संस्था **J.K. College of Nursing, Ujjain** को मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 2018 के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक /म.प्र.न.र.क./21, भोपाल दिनांक 1/4/2021 को निरस्त करते हुये समस्त सत्रों एवं समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रदान की गयी मान्यता एवं तत्पश्चात प्रदान की गयी नवीनीकरण मान्यताएं (समस्त पाठ्यक्रम) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रशासक / रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौ. / मान्यता / 2024 /
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक.....

1. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. डायरेक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेज की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर उज्जैन, की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक / प्राचार्य **J.K. College of Nursing, Ujjain** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रशासक / रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल(म.प्र.)